न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 92/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00121

उनवान

1. नारायण दत्त पुत्र चक्रपान (फौत)
   1/1. सुशीला देवी पत्नी नारायण दत्त
   1/2. नरेन्द्र कुमार
   1/3. नवल सिंह
   1/4. श्रीनिवास
   1/5. चर्तुभुज
   (1/2 से 1/5 — पिसरान नारायण दत्त; 1/1 से 1/5 — जातिगण त्यागी निवासीगण लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)
   1/6. सीमा पुत्री नारायण सिंह पत्नी शिवराज सिंह जाति त्यागी निवासी मौहना तहसील जौहरा जिला मुरैना।
2. हाकिम सिंह पुत्र सरनाम सिंह
3. मुकेश पुत्र सरनामा सिंह
   (2 व 3 — जाति त्यागी निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)

.........................अपीलांट।

बनाम

1. हरी सिंह पुत्र मंगल सिंह (फौत)
2. परसोत्तम पुत्र दलेल सिंह
3. दामोदर
4. लोकेन्द्र
   (3 व 4 — पिसरान नरेन्द्र उर्फ नरेना)
5. गयाप्रसाद
6. दयाशंकर
7. गोकुल
   (5 से 7 — पिसरान पूरन चंद)
8. भूदेव
9. अभिषेक
10. कन्हैया
   (8 से 10 — पिसरान केदार)
   (1 से 10 — जाति त्यागी नि0 ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)
11. कम्पूरी पत्नी उमाचरन(फौत)
12. दिनेश
13. प्रवेश
14. देवेश
15. राजेश
   (12 से 15 — पिसरान उमाचरन जाति त्यागी निवासीगण ग्राम लुहारी तह0 व जिला धौलपुर।)
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... रेस्पोंडेंट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 61/2010 उनवानी नारायनदत्त बनाम हरी सिंह।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेश कटारा वकील अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक—31.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर गत 352 मिन, 353 मिन रकवा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 361 रकवा 08 विस्वा वाके ग्राम लुहारी, गज सिंह, उमाचरन पिसरान वीरनारायन हिस्सा 1/3, नारायनदत्त पुत्र चक्रपान, चक्रपान पुत्र प्यारेलाल हिस्सा 1/3, पाल सिंह, माधोसिंह, बद्रीप्रसाद हिस्सा 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के गत इन्द्राजों का परिवर्तन करते हुये बद्रीप्रसाद पुत्र करन सिंह, दुर्गा प्रसाद पुत्र प्यारेलाल, गज सिंह पुत्र वीरनारायण का अंकन राजस्व अभिलेख में कर दिया। अतः वादी/अपीलाण्ट संख्या 01 का हिस्सा 3/12 वादी/अपीलाण्ट संख्या 2, 3 हिस्सा 1/12 भाग में खातेदार हैं तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। विवादित आराजी खसरा नम्बर गत 352 मिन, 353 मिन रकवा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 361 रकवा 08 विस्वा वाके ग्राम लुहारी, गज सिंह, उमाचरन पिसरान वीरनारायन हिस्सा 1/3, नारायनदत्त पुत्र चक्रपान, चक्रपान पुत्र प्यारेलाल हिस्सा 1/3, पाल सिंह, माधोसिंह, बद्रीप्रसाद हिस्सा 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के गत इन्द्राजों का परिवर्तन करते हुये बद्रीप्रसाद पुत्र करन सिंह, दुर्गा प्रसाद पुत्र प्यारेलाल, गज सिंह पुत्र वीरनारायण का अंकन राजस्व अभिलेख में कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के कथनो को सिद्ध तो माना है लेकिन शेष रकवा बाबत् वाद में कोई अभिलेख नहीं होने से दावा खारिज किया है। खसरा नम्बर 360 रकवा 09 विस्वा, 359 रकवा 10 विस्वा, 362 रकवा 09 विस्वा बाबत् कोई विवाद नहीं था अनावश्यक विवाद में इन नम्बरान को नही फसाना चाहते इसलिए इन खसरा नम्बरान का अंकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी निवेदन है कि दावा में खसरा नम्बर 360, 359, 362 की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल एवं बन्दोबस्त के वाद का अभिलेख पेश किया गया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

विवेचन नहीं किया। हाल खसरा नम्बर 361 रकवा 10 विस्वा के संबंध में विवाद है एवं दावा भी दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभॉत सिद्ध है। बन्दोबस्त विभाग को गत रकवा का इन्द्राज बदलने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2020 पेज 126, 1998 पेज 290, 2016 पेज 303, आरआरडी 1983 पेज 64 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाये हैं। प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2021–24 प्रदर्श–1 व 2 एवं नकल खतोनी बन्दोबस्त सं0 2028 प्रदर्श–6 वादी/अपीलाण्ट के कथनो को सिद्ध तो करती है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 352 एवं 353/1 का शेष रकवा किसके नाम दर्ज किया एवं उनके हाल खसरा नम्बर क्या बनाये; ऐसा कोई अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वादी/अपीलाण्ट को साविक खसरा नम्बरो के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को स्पष्ट करना आवश्यक था जो नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही वादी/अपीलाण्ट का दावा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उपलब्ध साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए, सुस्पष्ट निर्णय पारित किया है, जो तर्कसंगत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 31.05.2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दावानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्याः– 92 / 2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011 / 00121

उनवान

नारायण दत्त पुत्र चक्रपान (फौत) बनाम हरी सिंह पुत्र मंगल सिंह (फौत)

नोट :– विस्तृत उनवान पीछे अंकित है।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 61 / 2010 उनवानी नारायनदत्त बनाम हरी सिंह।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री सुरेश कटारा मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2011 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......31....माह....03.....सन्..........2021....को जारी की गई।

मुहर (मुहर: भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर)

31-3-2021

दस्तखत........भू-प्रबन्ध अधिकारी,
औहदा..........................पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत् इजराय हुक्मनामा		
बावत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

अपील संख्याः– 92 / 2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011 / 00121

उनवान

1. नारायण दत्त पुत्र चक्रपान (फौत)
   1/1. सुशीला देवी पत्नी नारायण दत्त
   1/2. नरेन्द्र कुमार
   1/3. नवल सिंह
   1/4. श्रीनिवास
   1/5. चर्तुभुज
   (1/2 से 1/5 – पिसरान नारायण दत्त)
   (1 से 1/5 – जातिगण त्यागी निवासीगण लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)
   1/6. सीमा पुत्री नारायण सिंह पत्नी शिवराज सिंह जाति त्यागी निवासी मौहना तहसील जौहरा जिला मुरैना।
2. हाकिम सिंह पुत्र सरनाम सिंह
3. मुकेश पुत्र सरनामा सिंह
   (2 व 3 – जाति त्यागी निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)

......................अपीलांट।

बनाम

1. हरी सिंह पुत्र मंगल सिंह (फौत)
2. परसोत्तम पुत्र दलेल सिंह
3. दामोदर
4. लोकेन्द्र
   (3 व 4 – पिसरान नरेन्द्र उर्फ नरेना)
5. गयाप्रसाद
6. दयाशंकर
7. गोकुल
   (5 से 7 – पिसरान पूरन चंद)
8. भूदेव
9. अभिषेक
10. कन्हैया
   (8 से 10 – पिसरान केदार)
   (1 से 10 – जाति त्यागी नि0 ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।)
11. कम्पूरी पत्नी उमाचरन(फौत)
12. दिनेश
13. प्रवेश
14. देवेश
15. राजेश
   (12 से 15 – पिसरान उमाचरन जाति त्यागी निवासीगण ग्राम लुहारी तह0 व जिला धौलपुर।)
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... रेस्पोंडेंट।

(हस्ताक्षर) 31.3.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प–धौलपुर ★ भरतपुर ★)